पत्र संख्या–6 / अग्नि0से0–01–01 / 2015गृ0आ0 393 /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18 – जनवरी, 2016

विषय :– **केन्द्र सरकार द्वारा नयी योजनान्तर्गत फायर एण्ड ईमरजेंसी सर्विसेज के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बिहार राज्य हेतु विमुक्त अनुदान राशि ₹ 2.00 करोड़ (दो करोड़ रू0) मात्र से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में फायर फाईटिंग सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक– 3128, दिनांक–04.06.2015 के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा नयी योजनान्तर्गत फायर एण्ड ईमरजेंसी सर्विसेज के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बिहार राज्य हेतु विमुक्त अनुदान राशि ₹ 2.00 करोड़ (दो करोड़ रू0) मात्र का बजट उपबंध कराने एवं निम्नांकित फायर फाईटिंग सामग्रियों की अधिप्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं व्यय की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है :–

Sl. No.	Items and Description	No. of Unit	Rate per Unit (Rs. In Crore) (Appr.)/ Total	Remarks (Equipments deputation place)
1.	Mini Rescue Tender (12 Ton, fully equipped with advance rescue equipment and appliances.)	01	0.55=0.55	For Patna
2.	Mini Hazmat Van (12 Ton)	01	1.00=1.00	For Patna
3.	Fire Safety mobile awareness/ educational van (12 Ton)	02	0.20=0.40	1 No. for Patna 1 NO. for Muzaffarpur
Total -		**04**	**1.95**	

(एक करोड़ पंचानवे लाख रू0)

2. उपर्युक्त के आलोक में महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर फायर एण्ड ईमरजेंसी सर्विसेज के आधुनिकीकरण हेतु उक्त फायर फाईटिंग सामग्रियों की अधिप्राप्ति करने हेतु ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र विमुक्त किया जाता है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष–2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण उप शीर्ष–02 05 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम, विपत्र कोड P 2070001080205, विषय शीर्ष– 52 01 मशीनें एवं उपस्कर, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9160 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्दर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0–6 / अग्नि0से0–01–01 / 2015 गृ0आ0 393 पटना, दिनांक 18 –जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3128, दिनांक–04.06.2015 के प्रसंग में / उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रभारी राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.16